

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 2(4)न्याय/2015


जयपुर, दिनांक 2 JUN 2017

अधिसूचना

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम द्वारा पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु, एतद्वारा निम्नलिखित स्थानों पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन एवं स्थापन करती है, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार/सीमाएँ कॉलम संख्या 4 में अंकित अनुसार विनिर्दिष्ट की जाती है:-

क्र०सं०	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1.	पारिवारिक न्यायालय, बालोतरा	बालोतरा	जिला न्यायालय, बालोतरा की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा
2.	पारिवारिक न्यायालय, धौलपुर	धौलपुर	जिला न्यायालय, धौलपुर की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा
3.	पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर	जैसलमेर	जिला न्यायालय, जैसलमेर की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा
4.	पारिवारिक न्यायालय, जालोर	जालोर	जिला न्यायालय, जालोर की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा
5.	पारिवारिक न्यायालय, करौली	करौली	जिला न्यायालय, करौली की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा
6.	पारिवारिक न्यायालय, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	जिला न्यायालय, प्रतापगढ़ की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा
7.	पारिवारिक न्यायालय, सिरोही	सिरोही	जिला न्यायालय, सिरोही की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा

राज्यपाल के आदेश से


(मनोज कुमार ब्यास)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.


-2-

No. Gen./II/1/85/1st/ 734

Dated : 06./06/2017

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

1. All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur. Registrar -CPC, RHC, Jodhpur with a request to upload the same at Rajasthan High Court website.
2. Concerned District and Session Judge.
3. Concerned Family Courts.
4. Concerned Chief Judicial Magistrates.
5. Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, computer cell (for update & mail to concerned DJ), Rajasthan High Court, Jodhpur.


REGISTRAR (RULES)